न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 154/2013

1. परमजीतसिंह | पिसरान इकबालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान
2. जोगेन्द्रसिंह | तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र वरियामसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 04.07.2013

उपस्थिति :–
श्री राजकुमार नागपाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री भगतसिंह, अभिभाषक रेस्पों.
श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा.पत्र राज.काश्त.अधि. की धारा 212 व 151 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रा.पत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 3 एल. के मु.नं. 14 के कि.नं. 23 में कोई पक्का या कच्चा किसी प्रकार का निर्माण न करें। प्रा.पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 03.07.2013 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.07.2013 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है। अपीलांट के नाम से जारी नोटिस उस पर विधिवत तामील नहीं हुए। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का

प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय में मु.नं. 14 के कि.नं. 23 में खातेदारी प्रा.पत्र के निर्णय तक यथास्थिति के आदेश दिये हैं जिससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.07.2013 के विरूद्ध दिनांक 13.09.2013 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक में खातेदारी प्रकरण के निस्तारण तक चक 3 एल के मु.नं. 14 कि.नं. 23 में अपीलांट को मौके की यथास्थिति बनाए रखने सम्बन्धी जो आदेश दिये हैं उसमें हमारे विचार से कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। इसके अलावा खातेदारी का प्रकरण अभी तक अधी. न्यायालय में विचाराधीन है या नहीं इस बाबत किसी भी पक्षकार ने कोई स्थिति प्रकट नहीं की है। साथ ही अपीलाधीन आदेश से किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही यह न्यायालय अधी. न्यायालय को यह निर्देश देना उचित समझता है कि उनके यहां इस प्रकरण से सम्बन्धित कोई प्रकरण विचाराधीन है तो उसका निस्तारण यथा सम्भव तीन माह में करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर